रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98

REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14, 1998 (फाल्गुन 23, 1919)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14, 1998 (PHALGUNA 23, 1919)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

मुम्बई, दिनांक 14 मार्च 1998

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8) 70/बी/5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण जनवरी, 1998 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञाप्ति की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गई हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुम्बई को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गई है । भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गयी हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है ।

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

शहरी बैंक विभाग

मुम्बई–400018, दिनांक 9 फरवरी 1998

सं० बी० आर० 149/16/0500/9–98.–भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे।

1. "मापुसा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि०, मापुसा गोवा" शब्दों के लिये

"मापुसा अर्बन को-आपरेटिव बैंक आफ गोवा लि०, गोवा"

और

2. "दि अहमदनगर सहकारी बैंक लि०, मुम्बई" शब्दों के लिये

"दि महानगर को-आपरेटिव बैंक लि०, मुम्बई"

शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(एस० ए० हुसैन)

कार्यालय निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 1998

संख्या : यू–16/53/98–चि०–2 (आन्ध्र प्रदेश)––कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम–105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23–5–1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० सी० माधव राव, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 2–12–1997 से 1–12–1998 तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्य-ग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण–पूर्व जोन), भुवनेश्वर द्वारा निर्धारित हैदराबाद के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डा० (श्रीमती) सु० सिंह,

चिकित्सा आयुक्त

संख्या : यू–16/53/98–चि०–2 (आन्ध्र प्रदेश)––कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम–105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23–5–1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० एम० श्याम सुन्दर राव, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 17–1–1998 से 16–1–1999 तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण-पूर्व जोन), भुवनेश्वर द्वारा निर्धारित हैदराबाद के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डा० (श्रीमती) सु० सिंह,

चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 11 फरवरी 1998

संख्या :– यू–16 (53) 95–चि०–2 (उत्तर प्रदेश)––कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम–105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23–5–1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क० रा० बी० अस्पताल, पाण्डुनगर, कानपुर को मौजूदा मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 15–10–1997 से एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्य-ग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर जोन) दिल्ली द्वारा निर्धारित कानपुर के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डा० (श्रीमती) सु० सिंह,

चिकित्सा आयुक्त

दिल्ली नगर कला आयोग

भारत पर्यावास केन्द्र

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 1998

सं० 1 (1)/87–डी० यू० ए० सी०––दिल्ली नगर कला आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1973 का 1) की धारा

9 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा निबंधन और शर्तें) विनियम, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा निबंधन और शर्तें) संशोधन विनियम, 1998 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा निबंधन और शर्तें) विनियम, 1993 के विनियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

"12. जब तक कि इन विनियमों में प्रतिकूल प्रावधान न किया गया हो, आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों की अन्य सेवा शर्तें तथा निबंधन जहां तक संभव हो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू, मौलिक और अनुपूरक नियम, सामान्य वित्तीय नियम 1963, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवाएं) नियम, 1965, केन्द्रीय सिविल सेवा चिकित्सा उपलब्धि) नियम, 1944, हाउस बिल्डिंग एडवांस नियम, वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजन नियम, 1978, सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) नियम, 1972 जहां तक सर्विस ग्रेच्युटी, रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी से सम्बन्धित है और केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए समय-समय पर उक्त नियमों के अधीन जारी किए गए आदेशों तथा निर्णयों द्वारा शासित होंगे।".

एम० टी० मेथ्याम
सचिव
दिल्ली नगर कला आयोग

टिप्पण :—मूल विनियम, भारत के राजपत्र भाग III खण्ड 4 तारीख 23 अक्तूबर, 1993 में प्रकाशित किए गए थे।

दिल्ली वक्फ बोर्ड

नई दिल्ली-110002, दिनांक

नं 12/आर एस०/एस० एण्ड क्यू०/318/95-96/1988—यह राजपत्रित अधिसूचना आम जानकारी के लिए दी जाती है कि निम्नलिखित वक्फ जायदादों की सूची संख्या-36 (जो कि सुन्नी वक्फ हैं) और जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 17 मई, 1997 (वैशाख 27-1919) पेज संख्या 1696-97 भाग III धारा-4- में छपी है।

1. वक्फ हाजी मोहम्मद जकरिया, म्युनिसिपल संख्या 1349 से 1351, 1355, 1356, 1361-64, 1374-1398, फाटक हब्श खां, मेन गली रंगवाली, गली हिरा बेग और गली जकरिया, दिल्ली-6 और म्युनिसिपल संख्या 2306 से 2315 और 2317, 2397-2399, 2400, 2401, 2404, 2406, 2407, 2411, 2413 से 2415 कूचा उस्ताद दाग, दिल्ली-6।

2. कनाती मस्जिद और कब्रिस्तान, खसरा न संख्या 1151/3(1665), महरौली (सौन बुर्ज) नई दिल्ली कुल जगह 11 बिघा)।

यह राजपत्रित अधिसूचना बिना सक्षम अधिकारी की राय लिए या स्वीकृति के जो की वक्फ एक्ट 1995 की धारा 5 (2) के अंतर्गत आवश्यक है दी गई थी।

इसलिए उपरोक्त राजपत्रित अधिसूचना वापिस ली और रद्द की जाती है।

सिराज प्राचा
अध्यक्ष

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS

Mumbai, the 14th March 1998

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of the 20th April, 1946 (as amended under the Notification No. F. (8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended January 1998 is hereby advertised of securities lost etc, In respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just, All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts: List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" the list of securities previously advertised.

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
URBAN BANKS DEPARTMENT

Mumbai-400018 the 9th February, 1998

No. BR 149/16-05-00/97-98.— In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in Second Schedule to the said Act, namely,

1 for the words "Mapusa Urban Co-operative Bank Ltd., Mapusa, Goa", the words "Mapusa Urban Co-operative Bank of Goa, Ltd. Goa"

and

2 for the words "The Ahmednagar Sahakari Bank Ltd., Mumbai," the words "The Mahanagar Co-operative Bank Ltd., Mumbai" shall be substituted.

S. A. HUSSAIN
Executive Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 28th January 1998

No. U-16/53/98-Med. II (A. P.) .— In pursuance of the resolution passed by E. S. I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950 and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. C. Madhav Rao, PTMR to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 2-12-97 to 1-12-98 for one year, or till full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Hyderabad Centre, for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (South East Zone) Bhubaneswar for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificate to them when the correctness of the original certificates is in doubt,

DR. (Mrs.) S. SINGH
Medical Commissioner

No. U-16/53/98-M. II (A. P.) :— In pursuance of the resolution passed by E. S. I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950 and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. M. Syamat sunder Rao, PTMR to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 17-1-98 to 16-1-99 for one year, or till a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Hyderabad Centre, for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (South East Zone) Bhubaneswar for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (Mrs.) S. SINGH
Medical Commissioner

The 11th February 1998

No. U-16/53/95-M. II (U. P.) —. In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950 and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby authorise the Chief Medical Officer, ESI Hospital Pandunagar, Kanpur Centre to function as Medical authority at a monthly remuneration in accordance with existing norms w. e. f. 15-10-97 for a period of one year or till a full-time Medical Referee Joins, whichever is earlier, for Kanpur Centre and the areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (North Zone) Delhi for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR, (Mrs.) S. SINGH
Medical Commissioner

DELHI URBAN ART COMMISSION
INDIA HABITAT CENTRE

New Delhi, the 27th January 1998

No. 1 (1)/87-DUAC. — In exercise of the powers conferred by clause (C) of sub-section (1) of section 27, read with sub-section (3) of section 9 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Delhi Urban Art Commission with the previous consent of the Central Government makes the following regulations to amend the Delhi Urban Art Commission (Terms and Conditions of Service) Regulations 1993, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Delhi Urban Art Commission (Terms and Conditions of Service) Amendment Regulations, 1998.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Delhi Urban Art Commission (Terms and Conditions of Service) Regulations, 1993 for regulation 12, the following regulation shall be substituted; namely :—

"12. Unless expressly provided for in these regulations to the contrary, the other terms and conditions of service of the officers and employees of the Commission shall be governed as far as may be by the Fundamental and Supplementary Rules, General Financial Rules, 1963, Central Service (Temporary Service) rules, 1965, Central Civil Service (Medical Attendance) Rules, 1944, House Building Advances Rules, Delegation of Financial Power Rules, 1978, Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 in so far as they relate to Service Gratuity, Retirement Gratuity and Death Gratuity and by order and decision issued by the Central Government under those rules from time to time as applicable to the employees of the Central Government".

M. T. MESHRAM, Secretary,
Delhi Urban Art Commission

195

Note : The principal regulations were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India dated the 23rd October, 1993.

DELHI WAKF BOARD

(Constituted under Central Wakf Act, 1954)

New Delhi-110002, the 26th February 1998

No. 12/R. S./ M & Q/318/95-96/1998 :— It is hereby notified for general information that the list of wakf properties published as list No. XXXVI under Govt. of India Gazette Notification dated 17th May, 1997 (Vaisakha 27, 1919) at pages 1696-97 in Part III, Sec. 4 pertaining to following Sunni Wakf Properties :—

(i) Wakf Haji Mohd. Zakaria, Mpl. Nos. 1349 to 1351, 1355, 1356, 1361-64, 1374-1398, Phatak Habash Khan, Main Gali Rangwali, Gali Hinga Beg & Gali Zakaria Delhi-6 & Municipal Nos. 2306 to 2315 & 2317, 2397-2399, 2400, 2401, 2404, 2406, 2407, 2411, 2413 to 2415, Kucha Ustad Dagh, Delhi-6.

(ii) Quanati Masjid & Graveyard bearing Khasra No. 1151/3, (1665), Mehrauli, also known as Sohan Burj, New Delhi measuring 11 bighas approx.

has been made without approval and the mandate of the competent authority as required under Sec. 5 (2) of the Wakf Act, 1995.

Now, therefore, the above said notification is hereby withdrawn and cancelled.

SIRAJ PRACHA
Chairman

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and published by the Controller of Publications, Delhi, 1998